न्यायालय उप जिलाधिकारी, सोरांव, इलाहाबाद।

वाद संख्या- 11 वर्ष 2009 धारा 143 भू-राजस्व अधिनियम

मौजा-अब्दालपुरखास परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद

बसन्त लाल सिंह बनाम सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत बसन्त लाल सिंह पुत्र स्व0 सीताराम प्रबन्धक डिग्री कालेज, राम नगर परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम अब्दालपुरखास परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद स्थित गाटा संख्या 1279 रकबा 1.0270 हे0 व गाटा सं0 1281ख रकबा 1.2550 हे0 में सहखातेदार भूमिधर काबिज दखील हैं। उक्त भूमि में अंश बैनामे के आधार पर उसका 1.0336 हे0 है। उक्त आराजियात मे उसका सम्पूर्ण अंश 1.551 हे0 है। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि की शक्ल से परिवर्तित होकर आवादी की शक्ल में है और काश्तकारी करने योग्य नहीं रह गयी है। सम्पूर्ण हिस्से पर भवन बना हुआ है और उक्त भूमि चारो तरफ बाउन्डरी से घिरी है तथा 15-20 कमरे निर्मित हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग आवादी के रूप मे हो रहा है। आवेदक द्वारा आराजी संख्या 1279 रकबा 1.0270 हे0 व गाटा सं0 1281ख रकबा 1.2550 हे0 मौजा अब्दालपुरखास परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद के सम्पूर्ण अंश का मौजूदा राजस्व निरस्त कर अकृषिक आबादी की भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सोरांव के माध्यम से करायी गयी। राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 7.12.09 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम अब्दालपुरखास परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद की गाटा संख्या-1279 रकबा 1.0270 हे0 में से 0.9073हे व गाटा सं0 1281ख रकबा 1.2550 हे0 में से 0.6444 हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व निरीक्षक सोरांव की आख्यानुसार आराजियात उपरोक्त पर गंगा डिग्री कालेज का भवन व बाउण्डरी बनी हुई है जो आवादी के रूप में अकृषिक भूमि है।

अतः ग्राम अब्दालपुरखास परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद की गाटा संख्या-1279 रकबा 1.0270 हे0 में से 0.9073हे व गाटा सं0 1281ख रकबा 1.2550 हे0 में से 0.6444 हे0 को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25.01.2010

(शत्रोहन वैश्य)
उप जिलाधिकारी सोरांव,
इलाहाबाद।

प्रतिलिपि
न्यायालय उप जिलाधिकारी, सोरांव, इलाहाबाद।

29/1/10